੧ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ (ਰਜਿ:)

(ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰ: 10217 ਮਿਤੀ 7-5-1979)

ਜੈਤਪੁਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110044

Gurdwara Sri Guru Singh Sabha (Regd.)

(Registered No. 10217 Dt. 7-5-1979)

JAIT PUR, NEW DELHI-110044

Ref. No.......................

Dated..............................

श्री तेजेन्द्र खन्ना जी,
माननीय उपराज्यपाल महोदय,
राजनिवास, दिल्ली,
दिल्ली- 110054

विषयः– मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा जैतपुर गांव को गलत तरीके से ओ जोन में दर्शाने के संदर्भ में।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारे जैतपुर गांव को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि गलत है। ओ–जोन का दायरा यमुना नदी की धारा से 300 मीटर तक होता है। हमारा गांव वर्ष 1947 से बसा हुआ है व हम सब लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहां आकर बसे थे व उस समय हमें भारत सरकार ने ही यहां पर बसाया था। हमारा गांव लाल डोरे का गांव है व हम लोग यमुना फन्ट या यमुना नदी के किनारे नहीं बसते हैं, अपितु हमारे बाद दिल्ली की 4–5 अनाधिकृत कालोनियाँ जो दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में दर्ज है, व उसके बाद हरियाणा के ईस्मायलपुर गांव, बसन्तपुर गांव व अगवानपुर गांव आते हैं व कई कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है इसलिये हमारा गांव जैतपुर यमुना नदी से काफी दूर है इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारे जैतपुर गांव को ओ जोन से निकालकर किसी और जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,

(पूरन सिंह)
प्रधान

प्रतिलिपिः–

1– माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली।
2– माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
3– माननीय श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
4– माननीय श्री रामसिंह नेताजी, विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

✹ जय हिन्द ✹

पंजी. संख्या : S/29876

सौरभ विहार रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (रजि०)

भागीदारी

कार्यालय : एन-349/13, अमर मार्किट, सौरभ विहार, हरिनगर विस्तार,
जैतपुर रोड़, बदरपुर, नई दिल्ली-110044
दूरभाष कार्यालय : 011-26665555

पत्रांक.......................

दिनांक 10/11/2011

अध्यक्ष :
रमाशंकर दीक्षित
निवास : 26665555
मोब. : 9968910919

उपाध्यक्ष :
श्री शिवनाथ सिंह
मोब. : 8826926429

महासचिव :
श्री राजकुमार
मोब. : 9868904927

सचिव :
श्री पवन कुमार झा
मोब. : 9871594811

कोषाध्यक्ष :
श्री गंगा सागर
मोब. : 9871595565

सदस्य :
श्री सुनील भट्ट
मोब. : 9818552032

सदस्य :
श्री अमर नाथ झा
मोब. : 9654604127

सेवा में,

श्री कमनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री
भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली

विषय : मास्टर प्लॉन 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारी कॉलोनी (एन–ब्लॉक, अमर मार्केट, जैतपुर वार्ड सं. 201) को ओ जोन (Zone O) से निकालकर एफ जोन (Zone F) में डाले जाने हेतु निवेदन !

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी कॉलोनी एन–ब्लॉक, अमर मार्केट, सौरभ विहार, जैतपुर वार्ड सं. 201 (रजि. नं. 84), बदरपुर, नई दिल्ली–44 दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कॉलोनियों की सूची में 84 पर सूचीबद्ध है तथा वर्ष 2008 में यु.पी.ए. अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एंव दिल्ली सरकार के द्वारा उक्त कॉलोनी को 17.9.2008 में अस्थाई प्रमाण–पत्र दिया जा चुका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लॉन 2021 में हमारी कॉलोनी को जोन ओ (Zone O) में रखा गया है, जोकि सरासर गलत है। जोन ओ यमुना नदी का अग्रभाग/यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके को ही माना गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनूरुप है।

हमारी कॉलोनी एन–ब्लॉक, अमर मार्केट, सौरभ विहार, जैतपुर वार्ड सं. 201 यमुना नदी से लगभग 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है व हम लोग यमुना नदी के किनारे या अग्रभाग पर नहीं बैठे हैं। हमारी कॉलोनी के बाद कुछ और कॉलोनियाँ हैं व उसके बाद हरियाणा के गांव–बसन्तपुर, इस्माईलपुर व अगवानपुर व हरियाणा की कुछ कॉलोनियां भी आती हैं व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है।

जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारी कॉलोनी से मात्र कुछ मीटर की दूरी एफ जोन लागू किया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कॉलोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे।

फोट कॉपी संलग्न है : 17.9.2008 को जारी किया गया अस्थाई प्रमाण–पत्र

प्रतिलिपि :
1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2. माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3. माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
4. माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5. माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6. श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिणी दिल्ली
7. श्री राम सिंह नेताजी माननीय विधायक, बदरपुर विधान सभा

आपका अपना
10/11/2011
रमाशंकर दीक्षित (अध्यक्ष)
सौरभ विहार रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (रजि०)
एन–349/13, अमर मार्किट,
सौरभ विहार,
बदरपुर, नई दिल्ली–44
फोन : 011–26665555,
मोब. : 011–20554707, 9968910919
rwanblock.saurabhvihar@gmail.com